

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 106 / 2016

दायर दिनांक 27.12.2016

	उनवान	
गीता	बनाम	नारु

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 25.08.2023

—:निर्णय:—

वकील वादी द्वारा सिगेह से पत्रावली तलब किये जाने के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई। वादीया व उनके अधिवक्ता हाजिर। हाजिर होकर वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया। सुन समझ कर आदेशिका पर अंगूठा लगाया व अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने हस्ताक्षर किये। वाद पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया |



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

